जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप-मिशन के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप-मिशन के लिए दिशानिर्देश

<u>विषय-वस्तु</u>

1	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) की आवश्यकता	
2	मिशन का विवरण	
3	मिशन की नीति	
4	मिशन के लक्ष्य	
5	मिशन की अवधि	
6	मिशन कार्यक्रम का दायरा	
7	मिशन के घटक	
8	मिशन की व्याप्ति	
9	शहरी सुधार	
10	समझौता ज्ञापन(एमओए)	
11	राष्ट्रीय संचालन दल	
12	मिशन निदेशालय	
13	परियोजनाओं का मूल्यांकन	
14	मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति	
15	परामर्शदात्री समूह	
16	राज्य स्तरीय संचालन समिति	
17	नोडल एजेंसी	
18	वित्तीय पद्धति	
19	निधियां जारी करना	
20	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के परिणाम	
21	मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी	
अनुलग्नक-I		
	2001 की जनगणना अनुसार चुने गए शहरों/शहरी समूहों की सूची	
अनुलग्नक-II		
1.	अनिवार्य सुधार	
2.	वैकल्पिक सुधार	

1. जवाहरलाल नेहरू राट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की आवश्यकता

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 285.35 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं । यह देश की कुल आबादी का 27.8 है । स्वातंत्रयोत्तर काल में भारत की आबादी में तिगुनी वृद्धि हुई है जबकि शहरी आबादी में पाँच गुणा वृद्धि हुई है । बढ़ती हुई शहरी आबादी के कारण शहरी गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । वर्ष 2001 के आकलन के अनुसार स्लम आबादी के 61.8 मिलियन होने का अनुमान है । स्लमवासियों की हमेशा बढ़ती संख्या से शहरी बुनियादी सेवाओं तथा अवस्थापना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है । तेजी से हुई शहरी वृद्धि के परिणामस्वरूप पैदा हुई बड़ी समस्याओं से निबटने के लिए चुनिंदा शहरों के मिशन मोड पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक सुसंगत शहरी करण नीति/ रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है ।

2. मिशन का विवरण

शहरी अवस्थापना/सेवा प्रदायगी तंत्र में कार्य कुशलता, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पहचान किये गये शहरों का सुधारमूलक, त्वरित नियोजित विकास ।

3. मिशन कार्यनीति

i. *प्रत्येक चुने गए नगर के लिए 20-25 वर्ष के लिए नियोजित शहरी परिप्रेक्ष्य ढांचा(जो प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा) तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि की आवश्यकता पूरी करने की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं का विवरण दिया जाएगा । इस परिप्रेक्ष्य योजना के बाद विकास प्लान तैयार किए जाएंगें जिसमें प्रत्येक पांच वर्ा की योजनावधि के लिए सेवाओं सहित भू-उपयोग को शहरी परिवहन तथा पर्यावरण प्रबंध के साथ एकीकृत किया जाएगा ।*

ii. *शहरों/शहरी समूहों/पैरा स्टेटलों द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरु करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाएगी ।*

iii. *शहरी अवसंरचना के विकास, प्रबंध और वित्त प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाएगा ।*

iv. *चुने गए शहरों के लिए धनराशि नामित राज्य नोडल एजेंसी को जारी की जाएगी जो बदले में, व्यवहार्य सीमा तक, वित्तीय संस्थानों/निजी क्षे/पूंजी बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी ।*

v. *केन्द्र तथा राज्य सरकार से धनराशि अनुदान के तौर पर सीधे राज्य द्वारा नामित नोडल एजेंसी को मिलेगी । नोडल एजेंसी शहरी स्थानीय निकायों या पैरा स्टेटल एजेंसियों, इनमें से जो भी हो, को उदार ऋण या अनुदान के तौर पर केन्द्रीय सहायता देगी ।*

vi. मिशन के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की प्रचालन और अनुरक्षण लागत को पूरा करने हेतु एक आवती कोष सृजित किया जाएगा ।

4. मिशन के लक्ष्य

(क) मिशन के तहत शामिल नगरों में शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक ध्यान देना ।

(ख) परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंध के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबों हेतु नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढंग से रखरखाव के अलावा ये सेवाएं समय के साथ-साथ स्वपोषित भी बन सकें ।

(ग) शहरी अवस्थापना सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना ।

(घ) बाहरी शहरी क्षेत्रों, विस्तार क्षेत्रों, शहरी कारीडोरों सहित चुनिंदा नगरों का नियोजित विकास ताकि शहरीकरण का क्षेत्रफल विस्तृत रहे ।

(ड.) शहरी गरीबों के लिए उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को बढाना ।

(च) भीड़भाड़ कम करने के लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम शुरु करना अर्थात् अंदरुनी(पुराने)नगरीय क्षेत्र का पुनर्विकास करना ।

5. मिशन की अवधि

मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से आरम्भ होकर सात वर्ष होगी । इस अवधि के दौरान मिशन चुनिंदा शहरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चित करेगा । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु होने से पूर्व मिशन के कार्यान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो कार्यक्रम को समुचित रुप में अशांकित किया जा सकता है ।

6. मिशन कार्यक्रम का दायरा

अवस्थापना का उन्नयन करने, औद्योगिक /वाणिज्यिक स्थापनाओं को संगत क्षेत्र में स्थानांतरित करने इत्यादि के उद्देश्य से शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप मिशन का मुख्य जोर सफाई सहित जल आपूर्ति,सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन तथा अंदरुनी(पुराने)शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास से संबंधित मुख्य अवस्थापना परियोजनाओं पर होगा ।

7. मिशन के घटक

7.1 **स्वीकार्य घटक:** शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उपमिशन के तहत निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाएं स्वीकार्य होंगी:

(i) शहरी नवीकरण अथात् अंदरुनी(पुराने)शहरी क्षेत्रों का पुनर्विकास{(इसमें संकरी गलियों को चौड़ा करने, भीड़भाड़ कम करने के लिए औद्योगिक/वाणिज्यिक स्थापनाओं को गैर-नियोजित(अंदरुनी शहर) क्षेत्रों से नियोजित(बाहरी शहर) क्षेत्रों स्थानांतरित करने, पानी के पुराने तथा सड़े गले पाइपों के बदले में नये/और अधिक क्षमता वाले पानी के पाइप लगाना, सीवरेज/जल निकास/ठोस कचरा निपटान प्रणालियों इत्यादि का नवीकरण जैसी मदें शामिल होंगी)।}

(ii) जलापूर्ति(डिसेलिनेशन संयंत्रों सहित)तथा सफाई ।

(iii) सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन ।

(iv) नालियों/बरसाती पानी की नालियों का निर्माण और सुधार ।

(v) सड़क हाइवे/एक्सप्रेसवे/एमआरटीएस/मेट्रो परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन ।

(vi) सार्वजनिक व निजी साझेदारी आधार पर पार्किंग लॉट/स्थान ।

(vii) हेरिटेज क्षेत्रों का विकास ।

(viii) केवल विशेष श्रेणी के राज्यों, जहां ऐसी समस्याएं आम हैं, के मामले में भूरक्षण/भू-स्खलन को रोकना एवं पुनर्वास करना।

(ix) जलाशयों का संरक्षण ।

नोट : पूर्वोत्तर राज्यों अथवा/और पर्वतीय राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश , उत्तरांचल तथा जम्मू व कश्मीर में स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के अलावा भूमि लागत का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा ।

7.2 अस्वीकार्य घटक

निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा :-

(i) विद्युत

(ii) दूरसंचार

(iii) स्वास्थ्य

(iv) शिक्षा

(V) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं स्टाफ घटक

8. मिशन की व्याप्ति

इस गहन शहरी अवस्थापना सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी शहरों और कस्बों को लेने में संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार केवल चुनिंदा शहरों/शहरी समूहों को ही निम्नलिखित मानकों/ मानदंडों के अनुसार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लिया जाएगा ।

क	2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह	07
ख	एक मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर/शहरी समूह	28
ग	चुनिन्दा शहर/शहरी समूह(राज्यों की राजधानियां तथाधार्मिक/एतिहासिक और पर्यटन कीदृष्टि से महत्वपूर्णअन्य शहर/शहरी समूह)	28

मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों/शहरी समूहों/कस्बों की पूर्ण सूची अनुलग्नक-। में दी गई है ।

8.1 शहरों में निर्वाचित निकाय होने चाहिए ।

9. शहरी सुधार

9.1 शहरी नवीकरण की संशोधित कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य है शहरी प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना ताकि बढी हुई साख और नए कार्यक्रमों तथा सेवाओं का विस्तार शुरू करने के लिए बाजार की पूंजी प्राप्त करने की क्षमता के साथ शहरी स्थानीय निकाय(यूएलबी) और **पैरा स्टेटल एजेंसियां** वित्तीय रूप से सुदृढ. हो जाएं । इस बेहतर परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी- निजी सहभागिता माडल भी व्यवहार्य हो जाएगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा सुधारों की कार्यसूची का कार्यान्वयन स्वीकृत करना अपेक्षित होगा । प्रस्तावित सुधार की मुख्यतः दो श्रेणियां होंगी : -

(i) अनिवार्य सुधार

(ii) ऐच्छिक सुधार

अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों की सूची अनुलग्नक- ।। में है ।

9.2 सभी अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों को मिशन अवधि के अन्दर राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटलों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

9.3 तथापि, जलापूर्ति एवं सफाई से संबंधित स्कीमों के मामले में निम्नलिखित तीन राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधारों को वैकल्पिक सुधार माना जाए ।

(क) शहरी भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम का निरसन;

(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम का संशोधन

10. समझौता ज्ञापन (एमओए)

राज्य सरकार एवं पैरा स्टेटल एजेंसियों सहित शहरी स्थानीय निकाय, जहां कहीं आवश्यक हो, पहचान किये गये सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन करेंगें । समझौता ज्ञापन में सुधार की प्रत्येक मद के संदर्भ में प्राप्त किये जाने वाले विशिट मील पत्थरों का उल्लेख होगा । केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक आवश्यक शर्त है । इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । केन्द्रीय सहायता सुधार प्लेटफार्म के लिए सहमति व्यक्त करने वाली राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों /पैरा स्टेटल एजेंसियों को दी जाएगी ।

11. राष्ट्रीय संचालन दल

11.1 मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन दल गठित किया जाएगा । राष्ट्रीय संचालन दल का गठन इस प्रकार होगाः-

(i)	शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
(ii)	आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सह-अध्यक्ष
(iii)	सचिव(आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन)	सदस्य
(iv)	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(V)	सचिव, व्यय	सदस्य
(Vi)	राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता	सदस्य
(Vii)	सचिव(शहरी विकास)	सदस्य-संयोजक

11.2 राष्ट्रीय संचालन दल पहचान किए गए सुधारों में अतिरिक्त सुधार जोड़ सकता है ।

11.3 राष्ट्रीय संचालन दल राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ''ग'' श्रेणी (राज्य की राजधानियों को छोड़कर) के अंतर्गत शहरों/कस्बों को शामिल करने या हटाने के लिए विचार करेगा । तथापि, मिशन के अंतर्गत शहरों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी ।

12. मिशन निदेशालय

परियोजना प्रस्तावों को तत्परता से तैयार करने हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ कुशल समन्वयन सुनिश्चित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अधीन एक मिशन निदेशालय होगा । राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता निदेशालय का एक सदस्य होगा । मिशन निदेशालय राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को प्रोसेस करेगा और उन्हें केन्द्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति के समक्ष विचारार्थ रखेगा ।

13. परियोजनाओं का मूल्यांकन

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रस्तावों को रखने से पूर्व मंत्रालय के तकनीकी स्कंधों या बाहर की विशेषज्ञ/तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जाएगी ।

14. मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति

14.1 पहचान किए गए राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति होगी, जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

1.	सचिव (शहरी विकास)	अध्यक्ष
2.	सचिव (आवास और श0ग0उप0)	सदस्य
3.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य
4.	प्रधान सलाहकार(एचयूडी), योजना आयोग	सदस्य
5.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
8.	मुख्य आयोजक, टीसीपीओ	सदस्य
9.	सलाहकार, सीपीएचईईओ	सदस्य
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव (शहरी विकास)	सदस्य-सचिव

14.2 उपर्युक्त केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति अलग-अलग मामले में, व्यय वित्त समिति /आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रीमंडल समिति को भेजे बिना शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री के अनुमोदन से शहरी अवस्थापना व शासन हेतु उप-मिशन के अंतर्गत 500 करोड़ रु0 तक की लागत वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा स्वीकृत के लिए प्राधिकृत है चूंकि 100 करोड़ रुपऐ से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री की स्वीकृति ऐसे प्रत्येक मामले में आवश्यक होगी । 500 करोड़ रु0 से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाएं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जैसा कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर संशोधित दिनांक 21.12.2002 के का0ज्ञा0 सं0 1(26)/ई.।।(ए)/2002 में विनिर्दिष्ट है ।

14.3 समिति स्वीकृति देने में शहरी नवीकरण, सफाई सहित जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी, सड़कों सहित शहरी परिवहन की परियोजनाओं को उच्चतर प्राथमिकता देगी ।

14.4 शहरी स्थानीय निकायों/ पैरा स्टेटलों द्वारा स्वयं कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की तुलना में निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इससे निजी पूंजी बढ़ाने तथा कार्य कुशलता लाने में मदद मिलेगी ।

15. परामर्शदात्री समूह

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर, मिशन/उप मिशन के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया जाएगा । समूह का अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार होगा जो शहरी शासन में सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई करने में परीक्षित अनुभव वाले नागरिक समाज से लिया गया होगा । समूह मिशन के लिए पहचान किए गए प्रत्येक शहर में समान स्वैच्छिक तकनीकी दल बनाने के लिए मिशन को सक्षम

बनाएगा । यह निजी क्षेत्र की भागीदारी, नागरिक अपेक्षा को शहरी शासन में निचले स्तर पर तथा नगरपालिका शासन में पारदर्शिता लाने में प्रोत्साहित करेगा ।

16. राज्य स्तरीय संचालन समिति

राज्य स्तर पर, मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का निर्णय लेने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एकं संचालन समिति गठित की जाएगी । इस संचालन समिति में निम्न शामिल होंगेः

(i)	राज्य का मुख्यमंत्री/शहरी विकास मंत्री/ आवास मंत्री	अध्यक्ष
(ii)	मंत्री, शहरी विकास	उपाध्यक्ष
(iii)	मंत्री, आवास	सदस्य
(iv)	संबंधित मेयर/ शहरी स्थानीय निकाय(यूएलबी) के अध्यक्ष	सदस्य
(v)	सांसद/विधायक(राज्य द्वारा *निर्णय लिया जाना है*)	सदस्य
(vi)	सचिव (पीएचई)	सदस्य
(vii)	सचिव (*एमए*)	सदस्य
(viii)	*सचिव(वित्त)*	सदस्य
(ix)	*सचिव(आवास)*	सदस्य
(x)	*सचिव(शहरी विकास)*	सदस्य-*सचिव*

17. नोडल एजेंसी

जे एन एन यू आर एम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वाराअभिज्ञात की गई नोडल द्वारा राज्य स्तर पर संचालन समिति को सहायता प्रदान की जाएगी । नोडल एजेंसी अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी : -

(क) शहरी स्थानीय निकाय/ पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्याकंन ।

(ख) जेएनएनयूआरएम के तहत केन्द्र सरकार से सहायता लेने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की स्वीकृति लेना ।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का प्रबंधन ।

(घ) शहरी स्थानीय निकायों/ पैरा स्टेटल एजेंसियों को अनुदान,अथवा सरल ऋण अथवा अनुदान- सह-ऋण के रूप में धनराशियां जारी करना ।

(ड.) आवर्ती कोष का प्रबंधन ।

(च) स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी ।

(छ) समझौता ज्ञापन के अनुसार सुधार के कार्यान्वयन की निगरानी।

18. वित्तीय पद्धति

18.1 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण निम्नवत होगा:

नगर /कस्बों /शहरी क्षेत्रों की श्रेणी	अनुदान		शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरा स्टेटल एजेंसियों का अंश/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण
	केन्द्र	राज्य	
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर/शहरी क्षेत्र	35%	15%	50%
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर में शहर/कस्बें/शहरी क्षेत्र	90ऽ	10ऽ	-
उपर्युक्त के अलावा अन्य शहर/शहरी क्षेत्र	80%	10%	10%
समुद्र तट से 20 कि0मी0 के अंदर डिसेलिनेशन प्लांट की स्थापना के लिए तथा खारे पानी और पानी की कमी वाले अन्य शहरों के लिए	80%	10%	10%

18.2 जैसा कि ऊपर कहा गया है, केन्द्र सहायता जेएनएनयूआरएम के तहत उपलब्ध अधिकतम सहायता होगी ।

18.3 यदि कोई जे एन एन यू आर एम परियोजना को भी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के रुप में स्वीकार भी की जाती है तो ईएपी राशि राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में दी

जा सकती है क्योंकि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/वित्त संस्थानों द्वारा दी गई धनराशि तथा जेएनएनयूआरएम राशि का उपयोग भारत सरकार अंशदान के रुप में किया जा सकता है ।

18.4. आवश्यकता होने पर सांस्थानिक वित्त के स्थान पर कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग किया जाए ।

18.5 शहरी परिवहन परियोजनाओं के मामले में 35% सहायता की मानक पद्धति लागू नहीं होगी । इस प्रकार के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय सीसीईए सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली इक्विटी तथा/अथवा ऋण की मात्रा निर्धारित करेगी ।

18.6 नगर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर्स) तैयार करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के लिए केन्द्रीय अनुदान का 5 प्रतिशत या वास्तविक आवश्यकता, जो कम हो, का प्रावधान मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों/नगरों को स्वीकृत करने हेतु रखा जा सकता है ।

18.7 साथ ही केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रशासनिक तथा अन्य व्यय के लिए अधिक से अधिक 5 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक आवश्यकता, जो भी कम हो, का उपयोग किया जा सकता है । तथापि केन्द्रीय अंश केन्द्रीय अनुदान के 1% से अधिक नहीं होगा ।

19. निधियों को जारी करना

19.1 निधियों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में (केन्द्रीय भागीदारी के बारे में 100 प्रतिशत अनुदान) राज्य सरकार या इसके द्वारा निर्दिष्ट राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय अंश के संबंध में 100% केन्द्रीय अनुदान) के रुप में जारी की जाएगी । नोडल एजेंसी शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरा स्टेटल एजेंसियां,जैसा भी मामला हो, को सरल ऋण अथवा अनुदान-सह- ऋण अथवा अनुदान के रुप में केन्द्रीय सहायता देगी । तथापि, अनुदान-सह-ऋण को इस प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है कि केन्द्र और राज्य अनुदान को मिलाकर उसका 25% वसूल किया जा सके और आवर्ती कोष में उपयोग किया जाए ताकि अवस्थापना परियोजनाओं में और निवेश के लिए वित्तपोषण हेतु बाजार से निधियां जुटाई जा सकें । मिशन अवधि की समाप्ति पर आवर्ती कोष को राज्य शहरी अवस्थापना कोष में बदला जा सकता है ।

19.2 जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 25 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की जाएगी । अनुदानों (केन्द्र एवं राज्य) के 70 प्रतिशत राशि तक के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने समझौता ज्ञापन में यथा परिकल्पित राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत लक्ष्यों को पाने पर सहायता की शेष राशि यथासंभव तीन किस्तों में जारी की जाएगी ।

20. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के परिणाम

सात वर्षों की मिशन अवधि के पूरे होने पर यह उम्मीद की जाती है कि शहरी स्थानीय निकाय निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करेंगे : -

(क) सभी शहरी सेवाओं और शासन कार्यों के लिए आधुनिक और पारदर्शी बजट, लेखांकन, वित्तीय प्रबंध प्रणाली डिजाइन की जा चुकी होगी तथा अपना ली गई होगी ।

(ख) आयोजना और शासन के लिए पूरे शहर के लिए कार्य ढांचा स्थापित किया जाएगा तथा यह प्रचालित हो जाएगा ।

(ग) सभी शहरी गरीब लोग शहरी सेवा के बुनियादी स्तर को प्राप्त कर सकेंगें ।

(घ) बड़े राजस्व उपकरणों में सुधार लाकर शहरी शासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एजेंसियां स्थापित की जाएंगी ।

(ड.) स्थानीय सेवाएं और शासन इस प्रकार संचालित किया जाएगा जो कि नागरिकों के लिए पारदर्शी और जिम्मेदार हो ।

(च) ई- गवर्नेंस अनुप्रयोगों को शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यों में शुरू किया जायेगा जिससे सेवा आपूर्ति प्रक्रियाओं की लागत और समय में कमी आयेगी ।

21. मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी

- शहरी विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस मंत्रालय के निर्दिष्ट अधिकारियों के माध्यम से स्कीम की आवधिक रूप से निगरानी करेगा ।
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी विकास मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी ।
- परियोजना के पूरा होने पर राज्य सरकार के माध्यम से नोडल एजेंसी इस संबंध में पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की स्वीकृति और समीक्षा/ निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार बैठक कर सकती है ।
- सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी बाहर की विशेज्ञता प्राप्त/ तकनीकी एजेंसियों से कराई जाएगी ।

अनुलग्नक - I

2001 की जनगणना अनुसार चुने गए शहरों/ शहरी समूहों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	आबादी (लाख में)
क.	मेगा शहर/शहरी समूह		
1	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
ख)	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह		
1	पटना	बिहार	16.98
2	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4	लुधियाना	पंजाब	13.98
5	जयपुर	राजस्थान	23.27
6	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10	कोचीन	केरल	13.55
11	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13	अमृतसर	पंजाब	10.03
14	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15	वडोदरा	गुजरात	14.91
16	सूरत	गुजरात	28.11
17	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19	कोयमबटूर	तमिलनाडु	14.61
20	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26	राजकोट	गुजरात	10.03
27	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40

ग)	दस लाख से कम आबादी वाले चुने गए शहर/शहरी समूह		
1	गुवाहाटी	असम	8.19
2	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	0.35
3	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4	रायपुर	छत्तीसगढ.	7.00
5	पणजी	गोवा	0.99
6	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7	राँची	झारखण्ड	8.63
8	तिरूवन्तपुरम	केरल	8.90
9	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10	शिलाँग	मेघालय	2.68
11	आइजवाल	मिजोरम	2.28
12	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17	बोध गया	बिहार	3.94
18	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19	पुरी	उड़ीसा	1.57
20	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23	पोंडिचेरी	पोंडिचेरी	5.05
24	चंडीगढ.	पंजाब और हरियाणा	8.08
25	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
27	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
28	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31

नोटः राष्ट्रीय संचालन ग्रुप राज्य की राजधानियों के अलावा श्रेणी ग के अंतर्गत शहर/कस्बों को जोड़ सकता है/कम कर सकता है । तथापि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत श्रेणी-ग के शहरों की कुल संख्या को यथोचित स्तर तक सीमित रखा जाएगा ।

अनुलग्नक-II

1. अनिवार्य सुधार

अनिवार्य सुधारों के दो सेट होंगे । शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कोर सुधारों का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए कार्यविधि का पुनर्गठन करके पारदर्शी तरीके से अधिक कारगर, विश्वसनीय, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराना है । सुधारों का दूसरा सेट राज्य स्तर पर संरचना से संबंधित है ।

1.1 शहरी स्थानीय निकाय /पैरा स्टेटल स्तर पर सुधार

i शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक, अकुशल आधारित लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाना;

ii शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस और एमआईएस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई-प्रशासन प्रणाली शुरू करना ;

iii जीआईएस के माध्यम से संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करना ताकि आगामी सात वर्षों के भीतर न्यूनतम 85 प्रतिशत उगाही संभव हो सके ;

iv शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार लगाना ताकि प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत या आवर्ती लागत की वसूली अगले सात वर्षों के अंदर हो जाए । तथापि, पूर्वोत्तर के नगरों / कस्बों तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों में प्रारंभ में ही प्रचालन और अनुरक्षण लागत का कम से कम 50% वसूल सकते हैं । ये शहर धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत वसूल करेंगे ।

v शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट में आंतरिक निर्धारण ।

vi शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा ,बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना ।

1.2 राज्य स्तर पर सुधार

(i) चौहतरवें संविधान संशोधन की संकल्पना के अनुरूप विकेन्द्रीकरण, उपायों का कार्यान्वयन । राज्यों को, पैरा स्टेटल कार्यों की योजना तथा नागरिकों को सेवाओं की सुपुर्दगी में शहरी स्थानीय निकयों का सार्थक ढंग से शामिल करना/ नियोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ii) * शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम का निरसन ।

(iii) * किराया नियंत्रण कानूनों में भूस्वामियों और किरायेदारों के हितों में संतुलन ।

(iv) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि मिशन अवधि में इसे कम करके 5% तक लाया जा सके ।

(v) स्थानीय शहरी निकायों /पैरा स्टेटल की मध्यावधि वित्तीय योजना तैयार करने तथा सभी संबंधितों को तिमाही कार्य निष्पादन की सूचना देने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून बनाना;

(vi) नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून पारित करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा शुरू करना;

(vii) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को "नगर नियोजन कार्य" देना अथवा इससे सहयोजित करना । पांच वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास अंतरित करना और अंतरिम अवधि में सभी शहरी सिविक सेवा दाताओं की जिम्मेदारी ठहराने की व्यवस्था करना ;

नोटः जलापूर्ति और सफाई से संबंधित स्कीमों के संबंध में निम्नलिखित राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधार माना जा सकता है:-

(i) शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन

(ii) किराया नियंत्रण अधिनियम का सुधार

2. वैकल्पिक सुधार(राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय/ पैरा स्टेटल के लिए साझे)

(i) भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु उपनियमों में संशोधन

(ii) कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक कार्यढांचों का सरलीकरण

(iii) शहरी स्थानीय निकायों में संपदा स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रणाली शुरू करना ।

(iv) क्रॉस सब्सिडाइजेशन प्रणाली के साथ ई डब्ल्यू एस/ एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25% निर्धारित करना ।

(v) भूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना ।

(vi) भविष्य में बनाए जाने वाले सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए उपनियमों का संशोधन ।

(vii) रिसाइकिल्ड जल का पुनः उपयोग करने के लिए उप नियम ।

(viii) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें शुरू करके, सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों को न भरकर आदि के जरिए स्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना ।

(ix) संरचनात्मक सुधार ।

(x) सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना ।

नोटः प्रत्येक वर्ष में राज्य और शहरी स्थानीय निकायों / पैरा स्टेटलों द्वारा मिलकर कोई दो वैकल्पिक सुधार कार्यान्वित किये जाने हैं ।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए
शहरी अवस्थापना विकास स्कीम
(यूआईडीएसएसएमटी)
के लिए दिशा निर्देश

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
(जेएनएनयूआरएम)

छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए
शहरी अवस्थापना विकास स्कीम
(यूआईडीएसएसएमटी)
के लिए दिशा निर्देश

1. **प्रस्तावना**

1.1 छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम का उद्देश्य कस्बों और नगरों की शहरी अवस्थापना में नियोजित तरीके से सुधार करना है । इसमें छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की मौजूदा स्कीमों को मिला दिया गया है ।

2. **उद्देश्य**

इस स्कीम के उद्देश्य हैं : -

(क) नगरों और कस्बों में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करना और स्थायी सार्वजनिक परिसंपत्तियां बनाना तथा उच्चस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराना

(ख) अवस्थापना विकास में सरकारी निजी सहभागिता का बढ़ाना तथा

(ग) कस्बों और नगरों के नियोजित एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देना ।

3. **स्कीम की अवधि**

स्कीम की अवधि 2005-06 से शुरू होकर सात वर्ष की होगी । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पूर्व स्कीम के परिणामों का मूल्याकन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो स्कीम को उपयुक्त तरीके से अंशाकित किया जाएगा ।

4. **क्षेत्र**

4.1 यह स्कीम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शामिल नगरों/कस्बों को छोड़कर 2001 की जनगणना के अनुसार सभी नगरों/ कस्बों पर लागू होगी ।

4.2 राज्यों के बीच निधियों का नियतन देश की कुल शहरी आबादी (जेएनएनयूआरएम के तहत शामिल शहरों को छोड़कर) के अनुपात में राज्य की शहरी आबादी (जेएनएनयूआरएम के तहत शामिल शहरों को छोड़कर) के आधार पर किया जाएगा ।

4.3 राज्य इसी फारमूला के आधार पर कस्बों/ नगरों के लिए धनराशि का नियतन करेंगे । तथापि, केवल उन्हीं कस्बों और नगरों को धनराशि मुहैया करायी जाएगी जिनमें स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हों और निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद हैं ।

4.4 राज्य सरकारें, कस्बों और नगरों की उनकी आवश्यकता के अनुसार, प्राथमिकता निर्धारित कर सकती है । कस्बों की प्राथमिकता निर्धारित करते समय, राज्य मौजूदा अवस्थापना, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की आबादी और पहाड़ी क्षेत्र जैसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे ।

5 संघटक

5.1 स्कीम के तहत जिन संघटकों को सहायता दी जाएगी , उनमें जलापूर्ति और सीवरेज सहित सभी शहरी अवस्थापना विकास परियोजनायें शामिल होंगी । पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू व कश्मीर में स्कीमों/ परियोजनाओं हेतु प्रायवेट भूमि के अधिग्रहण के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि की कीमत मुहैया नहीं करायी जाएगी ।

5.1.1 स्वीकार्य घटक

स्कीम में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे : -

(i) शहरी नवीकरण अर्थात अंदरूनी (पुराने) शहरी क्षेत्रों का पुनर्विकास (इसमें संकरी सड़कों को चौड़ा करना, भीड़-भाड़ कम करने के लिए औद्योगिक/ व्यावसायिक स्थापनाओं को अनियोजित (अंदरूनी शहर) से नियोजित(बाहरी शहर) क्षेत्रों में विस्थापित करना, पुराने और खराब पानी के पाइपों के स्थान पर नये/ बेहतर क्षमता वाले पाइप लगाना, सीवरेज/ ड्रेनेज / कचरा निपटान प्रणाली आदि का नवीकरण करना आदि मद शामिल हैं)।

(ii) जल आपूर्ति (डी- सेलीनेशन संयंत्रों सहित) और सफाई ,

(iii) सीवरेज तथा कचरा प्रबंधन

(iv) नालों/ बरसाती नालों का निर्माण करना और सुधार करना

(v) सड़कों, राजमार्ग/ एक्सप्रेस वे का निर्माण/ सुधार

(vi) सार्वजनिक - निजी भागीदारी आधार पर पार्किंग लॉट/क्षेत्र

(vii) विरासत क्षेत्रों का विकास

(viii) मृदा- क्षरण/ भू-स्खलन को रोकना और पुनर्वास करना, यह केवल उन विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में किया जाएगा जहां ऐसी समस्याएं प्रचलित हैं ।

(ix) जल क्षेत्रों का संरक्षण

5.1.2 अस्वीकार्य मदें

(क) विद्युत और दूरसंचार संबंधी निर्माण कार्य

(ख) बसों और ट्रामों जैसा रोलिंग स्टॉक

(ग) स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थाएं

(घ) शहरी परिवहन(एमआरटीएस, एलआरटीएस इत्यादि)

(ड.) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्टाफ घटक

(च) रखरखाव संबंधी कार्य

5.2 स्लम सुधार के लिए परियोजनायें स्वीकृत करते समय, राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अन्य स्रोतों द्वारा इन प्रयासों की पुनरावृत्ति न हो । इस प्रयोजनार्थ कार्यान्वयन एजेंसियों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं ।

6. वित्तपोषण पद्धति

6.1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 80 : 10 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाएगा और शेष 10% राशि नोडल /कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय संस्थाओं से जुटा सकती हैं । कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने के स्थान पर आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं । तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू व कश्मीर के शहरों/ कस्बों के मामलों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 90 : 10 अनुपात में वित्तपोषण किया जाएगा ।

6.2 राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन केन्द्रीय अंश के तीन गुणा तक की परियोजनाएं स्वीकृत कर सकती है । यह समिति निम्नलिखित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देगी; (i) जल आपूर्ति (जल का खारापन दूर करने के संयंत्र स्थापित करने सहित) और सफाई (ii) सीवरेज और कचरा प्रबंधन (iii) सड़क नेटवर्क और (iv) नालियों/ बरसाती नालों का निर्माण और उनका सुधार ।

6.3 शहरों/ कस्बों/ पैरा स्टेटल एजेंसियों के लिए परियोजना आधारित अनुदान/ऋण स्वीकृत किया जाएगा जोकि वित्तीय संस्थानों/ निजी क्षेत्रों/ पूंजी बाजार से यथा संभव अतिरिक्त संसाधनों को उठाएगा ।

6.4 एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी से उपलब्ध धनराशि का उपयोग परियोजना लागत के भुगतान के लिए किया जा सकता है और उतनी राशि के ऋण घटक/ राज्य अंश में कटौती की जा सकती है ।

6.5 यह योजना मनोनीत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी ।

7. केन्द्रीय सहायता जारी करना

7.1 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (अनुदान) सीधे राज्य सरकार द्वारा पहचान की गयी नोडल एजेंसियों के पास जाएगी ।

7.2 नोडल एजेंसी को दो किस्तों में जारी किए जाने वाले केन्द्रीय अंश की राशि राज्य अश की उपलब्धता और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर उपयोग प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर निर्भर करेगी ।

7.3 **धनराशि जारी करने के मापदंड निम्नलिखित हैं : -**

- राज्य अंश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद राज्य नोडल एजेंसी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर 50% केन्द्रीय अंश जारी किया जाएगा ।

- नोडल एजेंसी द्वारा पहले जारी की गयी धनराशि (केन्द्रीय और राज्य अनुदान) की 70% राशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शेष 50% केन्द्रीय अंश एक या दो किस्तों में जारी किया जाएगा ।

- तथापि, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी निम्न प्रकार से धनराशि जारी करेगी : -

  - राज्य अंश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद 25% केन्द्रीय अनुदान

  - राज्य अनुदान जारी किए जाने के बाद और सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के बाद शेष केन्द्रीय अनुदान ।

8. आवर्ती कोष

8.1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अनुदान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नोडल एजेंसी के पास जाएगा । नोडल एजेंसी इस केन्द्रीय सहायता को यथा प्रसंग शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरा स्टेटल एजेंसियों को सॉफ्ट ऋण या अनुदान-सह-ऋण के तौर बांट देगी । तथापि सॉफ्ट ऋण अथवा अनुदान-सह-ऋण इस प्रकार से स्वीकृत किया जाए कि केन्द्रीय तथा राज्य के मिलेजुले अनुदान के 25% को वसूल करके उसे संरचना परियोजनाओं में आगे निवेश के वित्तपोषण के लिए बाजार निधियां जुटाने की दृष्टि से आवर्ती कोष में मिला दिया जाए । स्कीम अवधि की समाप्ति पर आवर्ती कोष को राज्य शहरी संरचना कोष में परिवर्तित कर दिया जाए ।

8.2 राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति आवर्ती कोष में अनुदान वापस जमा करने की अवधि का निर्णय करेगी ।

8.3 राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति आवर्ती कोष की राशि से शहरों और कस्बों के अवस्थापनात्मक विकास के लिए परियोजनायें उसी प्रकार स्वीकृत करेगी, जिस प्रकार केन्द्रीय और राज्य अनुदानों से बनाये गये कोष में से परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

9. प्रोत्साहन

जिन कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन की मांग की जाती है, उनके कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहन देने हेतु अधिकतम 5% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार स्वीकृत कर सकती है :-

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए - 1.5%
- परियोजना/ योजना से संबंधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए - 1.5%
- परियोजनाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए - 1%
- नये तरीके अपनाने तथा विश्वसनीय और उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए - 1%

10. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

10.1 राज्य सरकार योजना कार्यान्वित करने के लिए किसी मौजूदा संस्थान को नोडल एजेंसी मनोनीत कर सकती है ।

10.2 नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

(i) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल/ कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करना ।

(ii) एजेंसियों में उपलब्ध विशेषज्ञों अथवा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं का तकनीकी -आर्थिक मूल्यांकन करना ।

(iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त धनराशि का प्रबंधन करना ।

(iv) दिशानिर्देशों में दी गयी वित्तपोषण पद्धति के अनुसार धनराशि का संवितरण करना ।

(v) वित्त वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के अंदर उपयोग प्रमाणपत्र और वास्तविक व वित्तीय प्रगति की तिमाही रिपोर्टें शहरी विकास मंत्रालय को भेजना ।

(vi) शहरी स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी धनराशि के लेखा परीक्षित लेखों का रखरखाव ।

(vii) सुधारों और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी ।

11. परियोजना मूल्यांकन

11.1 शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा स्टेटल एजेंसियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियां नामित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेंगी ।

11.2 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले मूल्यांकित परियोजनाएं शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग तथा नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन को प्रस्तुत करेंगी ताकि उनके प्रतिनिधि बैठक में परियोजनाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां / विचार दे सकें ।

12. राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी)

12.1 राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

सचिव, शहरी विकास/ पालिका प्रशासन/स्थानीय स्वायत्त शासन	अध्यक्ष
सचिव, वित्त	सदस्य
सचिव, आयोजना	सदस्य
सचिव, निर्माण/लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर	सदस्य
निदेशक(नगर एवं ग्राम नियोजन)/ राज्य के प्रमुख नगर नियोजक	सदस्य
निदेशक, नगर पालिका प्रशासन	सदस्य
शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
आंतरिक वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि (हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के संबंध में)	सदस्य
राज्य स्तरीय नोडल एजेसी के मुख्य कार्यकारी	सदस्य सचिव

12.2 राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगी :-

क. मूल्यांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए पैरा स्टेटल एजेंसियों सहित स्थानीय निकायों / कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों की जांच तथ अनुमोदन, यह समिति सफाई, सीवरेज , कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क तथा जल निकासी सहित जल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देगी ।

ख. स्वीकृत परियोजनाओं / स्कीमों की प्रगति की समय-समय पर मानीटरिंग, जिसमें वित्तीय संस्थानों से धनराशि जुटाना भी शामिल है ।

ग. स्कीम के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही हैं ।

घ. शहरी स्थानीय निकायों/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शुरू किये जा रहे शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा ।

12.3 राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती है किन्तु यह बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार अवश्य होनी चाहिए और इसमें चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा व नयी परियोजनाओं का अनुमोदन किया जाएगा ।

13. शहरी सुधार

शहरी नवीकरण की संशोधित कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य है शहरी प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना ताकि बढ़ी हुई साख और नए कार्यक्रमों तथा सेवाओं का विस्तार शुरू करने के लिए को पूंजी बाजार प्राप्ति की क्षमता के साथ शहरी स्थानीय निकाय और पैरा स्टेटल एजेंसियां वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो जाएं । इस बेहतर परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी निजी सहभागिता माडल भी व्यवहार्य हो जाएंगे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा सुधारों की कार्यसूची का कार्यान्वयन स्वीकृत करना अपेक्षित होगा । प्रस्तावित सुधार की मुख्यतः दो श्रेणियां होंगी :-

(i) अनिवार्य सुधार

(ii) ऐच्छिक सुधार

सभी अनिवार्य और ऐच्छिक सुधारों का कार्यान्वयन राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/ पैरा स्टेटल द्वारा स्कीम की अवधि में किया जाएगा ।

13.1 अनिवार्य सुधार

अनिवार्य सुधारों के दो सेट होंग । शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर मुख्य सुधारों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा री-इंजीनियरी व्यवस्था को अपनाना है ताकि सेवाओं को पारदर्शिता पूर्ण ढंग से और अधिक सक्षम विश्वसनीय बनाते हुए समय से उपलब्ध कराया जा सके । सुधारों का दूसरा सेट राज्य स्तर पर फ्रेमवर्क से संबंधित है ।

13.1.1 शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर सुधार

(i) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल में लेखों की आधुनिक प्राप्ति आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाना ।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों/ पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस और एमआईएस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई-प्रशासन प्रणाली शुरू करना ।

(iii) जीआईएस के साथ संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन का मुख्य स्रोत बन सके और आगामी चार वर्षों में समाहरण क्षमता कम से कम 85% पर पहुंच सकें ।

(iv) शहरी स्थानीय निकायों/ पैरा स्टेटल द्वारा पूर्ण प्रचालन लागत तथा अनुरक्षण या आवर्ती लागत को अगले सात वर्षों में वसूलने के उद्देश्य से उचित उपयोक्ता प्रभारों की उगाही । तथापि, उत्तर-पूर्व के शहर/कस्बे तथा अन्य विशेष श्रेणी के राज्य प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रभार का न्यूनतम 50% प्रारंभिक तौर पर ही वसूल करेंगें । ये शहर/ कस्बे पूर्ण प्रचालन व अनुरक्षण लागत की वसूली चरणबद्ध तरीके से करेंगे ।

(v) स्थानीय निकायों में आंतरिक नियतन, शहरी निर्धनों की बुनियादी सेवाओं के लिए बजट

(vi) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान जिसमें किफायती कीमतों के टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास, जल आपूर्ति सफाई और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना शामिल है ।

13.1.2 राज्य स्तरीय सुधार

(i) *74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित विकेन्द्रीकरण उपायों का कार्यान्वयन । राज्य, पैरा स्टेटल की योजना प्रक्रिया तथा नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने में शहरी स्थानीय निकायों की अर्थपूर्ण सहभागिता/संलिप्तता सुनिश्चित करे ।*

(ii) **नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनिमय का निरसन ।*

(iii) **मकान मालिकों तथा किराएदारों के हितों को संतुलित करने के लिए किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार*

(iv) *स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाना ताकि यह अगले सात वर्षों के अंदर 5 प्रतिशत से अधिक न रहे ।*

(v) *शहरी स्थानीय निकायों के लिए मध्यावधि वित्तीय योजना तैयार करने के लिए पब्लिक लॉ पारित करना और सभी अंशधारकों के लिए तिमाही कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।*

(vi) नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून पारित करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा शुरु करना ।

(vii) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को ''नगर नियोजन कार्य'' देना अथवा उससे सहयोजित करना । सात वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास अंतरित करना और अंतरित अवधि में सभी शहरी नागरिक सेवा प्रदाताओं को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था करना ।

***टिप्पणी: जलापूर्ति व सफाई से संबंधित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के तौर पर लिया जाए:-**

(i) नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन

(ii) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

14. वैकल्पिक सुधार (राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर)

(i) भवनों के निर्माण, स्थल विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु उप नियमों में संशोधन ।

(ii) कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों में परिवर्तित करने के लिए कानूनी तथा प्रक्रिया संबंधी ढांचे को सरल बनाना ।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रणाली शुरु करना ।

(iv) सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी तथा निजी दोनों एजेंसियों) में कम से कम 20-25 प्रतिशत भूमि क्रास सब्सिडी द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए नियत करना ।

(v) भूमि तथा संपत्ति के पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरु करना ।

(vi) सभी भवनों में बरसाती पानी एकत्र करना अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपाय अपनाने के लिए उप नियमों में संशोधन ।

(vii) पुनः शोधित पानी के दोबारा उपयोग के लिए उप कानून ।

(viii) प्रशासनिक सुधार, जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनायें लागू करके, सेवानिवृत्ति आदि के कारण खाली हुए पदों को न भरकर संस्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना ।

(ix) संरचनात्मक सुधार ।

(x) सार्वजनिक निजी भगीदारी को प्रोत्साहन ।

टिप्पणी: प्रथम वर्ष में राज्य तथा स्थानीय शहरी निकाय, दोनों द्वारा किन्ही दो वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वित करना होगा।

15. मानीटरिंग

(i) शहरी विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए इस मंत्रालय के नामित अधिकारी के माध्यम से स्कीम की समय-समय पर मानीटरिंग करेगा।

(ii) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी।

(iii) राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की तिमाही मानीटरिंग सुनिश्चित करेगी।

(iv) शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूडी) के अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति प्रत्येक तिमाही में प्रगति की मानीटरिंग करेगी।

(v) सचिव (यूडी) द्वारा वर्ष में दो बार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(vi) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक वर्ष (31 मई तक) स्कीम की स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा।

16. प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

परियोजना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण तथा दक्षता उन्नयन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें लगातार प्रयास करेंगी। राज्य सरकार इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से उपयुक्त प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उन्हें कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

17. समझौता ज्ञापन (एमओए)

स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए शहरों/कस्बों द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी अनिवार्य तथा कम से कम दो वैकल्पिक सुधार कार्यान्वित करना आवश्यक होगा। स्कीम की अवधि अर्थात सात वर्षों के दौरान सभी सुधार (अनिवार्य व वैकल्पिक) कार्यान्वित करने अपेक्षित होंगे। राज्य सरकार/राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करेगी जिसमें अभिज्ञात सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उल्लेख हो समझौता ज्ञापन में प्रत्येक सुधार मद के लिए विशिष्ट उपलब्धियों की प्राप्ति किए जाने का उल्लेख होना चाहिए। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य शर्त होगी। शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल एजेंसियां राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

18. स्कीम के परिणाम

स्कीम की सात वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह आशा है कि शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल एजेंसियां निम्नलिखित परिणाम प्राप्त कर लेंगे:-

(क) सभी शहरी सेवाओं और शासन कार्यों के लिए आधुनिक और पारदर्शी बजट, लेखांकन, वित्तीय प्रबंध प्रणाली डिजाइन की गई तथा स्वीकार की गई ।

(ख) आयोजना और शासन के लिए पूरे शहर का कार्य ढांचा तैयार किया जाएगा तथा इसे प्रचालित किया जाएगा ।

(ग) सभी शहरी निवासी बुनियादी स्तर की शहरी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगें ।

(घ) बड़े राजस्व उपकरणों में सुधार लाकर शहरी शासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रुप से आत्मनिर्भर एजेंसियां स्थापित की जाएंगी ।

(ड.) स्थानीय सेवाओं और प्रशासन को इस प्रकार संचालित किया जाएगा कि वे नागरिकों के लिए पारदर्शी और जिम्मेदार हों ।

(च) ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों को शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल एजेंसियों के मुख्य कार्यों में शुरु किया जाएगा, जिससे सेवा आपूर्ति प्रक्रियाओं की लागत और समय में कमी आएगी ।

19. विविध

19.1 सृजित परिसम्पत्तियों की सूची रखना और सृजित परिसम्पत्तियों व सुविधाओं का रखरखाव तथा परिचालन करना, शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल एजेंसियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का दायित्व होगा ।

19.2 शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को समस्त धनराशि की प्राप्ति और खर्च करने के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से एक बैंक खाता खोलना होगा और उसका रखरखाव करना होगा । शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियां केन्द्रीय तथा राज्य अंश और वित्तीय संस्थानों से ऋण के संबंध में धनराशि के उपयोग के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखेगी ।

19.3 नोडल एजेंसी स्कीम के तहत संस्थानवार तथा परियोजनावार खाते रखेंगी ।

19.4 2000-2001 से लेकर पिछले पांच वर्षों के दौरान चालू स्कीमों के तहत शुरु की गई परियोजनाओं का वित्त प्रबंध उनके समाप्त होने तक आईडीएसएमटी तथा एयूडब्ल्यूएसपी स्कीमों के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेगा ।

19.5 शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से स्कीम की प्रगति के साथ-साथ वित्तीय प्रबंध के अलावा स्कीम के दिशानिर्देशों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है ।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

जेएनएनयूआरएम के भाग के रुप में नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी) के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जेएनएनयूआरएम के भाग के रुप में
नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस
पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना
(एनएमएमपी) के लिए दिशानिर्देश

विषय-वस्तु

1	प्रस्तावना	
2	उद्देश्य	
3	कवरेज	
4	मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली सेवाएं	
5	वित्तीय पद्धति	
6	करार ज्ञापन	
7	जारी केन्द्रीय सहायता	
8	राज्य स्तरीय परामर्शदाता और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	
9	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और मूल्यांकन	
10	राज्य स्तरीय संचालन समिति	
11	कार्यान्वयन और मानीटरिंग	
12	क्षमता निर्माण और केन्द्र होल्डिंग	
13	अनुबंध (कांट्रेक्ट ऑफ एग्रीमेंट)	
14	विविध	
15	परिणाम	
16	उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य उपाय	
17	परिशिष्ट	

1. प्रस्तावना

1.1 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 3.12.2005 को आरंभ जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का उद्देश्य आर्थिक रुप से उत्पादनकारी, सक्षम, उपयुक्त और अनुकूल शहरों का एक समेकित रुप से निर्माण करना है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक अवस्थापना, शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं, शहरी क्षेत्र के सुधारों तथा नगरपालिका सरकारों और उनकी कार्यप्रणाली को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया जाएगा ।

1.2 चूंकि स्थानीय सरकार नागरिकों और शासन के बीच प्रथम संपर्क सूत्र है, इसलिए नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस का आरंभ होने से नगरपालिका निकायों को सेवा प्रणाली में सुधार लाने, बेहतर सूचना प्रबंध तथा पारदर्शिता लाने और शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी ।

2. उद्देश्य

2.1 नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

(क) नागरिक सेवाओं की स्पष्टतया अभिज्ञात सूची पर ध्यान केन्द्रित करना, जिसमें स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट सेवाएं शामिल की जाएगी । (अनुलग्नक-I)

(ख) स्थानीय- सरकार तथा इसके नागरिकों और अन्य पणधारियों (यथा गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन, प्रायवेट सेक्टर इत्यादि) के बीच बातचीत में कार्यकुशलता तथा सामर्थ्यता में सुधार लाना;

(ग) सुशासन के लिए सहायता व प्रोत्साहित करने के लिए आन्तरिक स्थानीय शासन कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाना;

(घ) शहरी स्थानीय निकायों के शासन में पारदर्शिता लाना तथा जवाबदेही तय करना;

(ड.) शहरी स्थानीय निकायों तथा नागरिकों के बीच सम्पर्क बढ़ाना; तथा

(च) नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने में सहायता करना ।

3. कवरेज

3.1. नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी) में 2001 की जनगणना अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 35 शहरों में सभी शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है ।

3.2 उपर्युक्त 35 शहरों एनएमएमपी के परिणाम के आधार पर अन्य कस्बों/शहरों को शामिल किया जाएगा ।

4. मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली सेवाएं

4.1 स्कीम के पहले चरण में शामिल की जाने वाली सेवाएं/प्रबंधन कार्य इस प्रकार हैं:-

1. जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र का पंजीकरण व निर्गमन

2. सम्पत्ति कर, उपयोग सेवा बिलों का भुगतान तथा शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आने वाली उपयोगी सेवाओं का प्रबंधन

   2.1 सम्पत्ति कर
   2.2 जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं

3. शिकायतें तथा सुझाव

4. भवन निर्माण अनुमोदन

5. परियोजना प्रापण व निगरानी
   5.1 ई-प्रापण
   5.2 परियोजना/वार्ड कार्य

6. स्वास्थ्य कार्यक्रम
   6.1 लायसेंस
   6.2 कचरा प्रबंधन

7. लेखांकन प्रणाली

8. व्यक्तिगत सूचना प्रणाली

4.2 जिन शहरों ने उपर्युक्त सेवाओं पर ई-गवर्नेंस के संबंध में पहले ही सुधार कर लिए हैं , 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किए जाने वाले कार्यों की सूची से शेष कार्यों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है । ऐसे शहर एक ही केन्द्र से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर सेवा केन्द्रों की स्थापना करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

5. वित्तीय पद्धति

5.1 नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के भाग के रुप में कार्यान्वित की जाएगी और परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था इस प्रकार होगी :-

शहरों की श्रेणी	अनुदान		शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरा स्टेटल अंश/ वित्तीय संस्थानों से ऋण
	केन्द्र	राज्य	
2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह	35%	15%	0%
2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर/शहरी समूह	50%	20%	30%

5.2 उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता जेएनएनयूआरएम के तहत उपलब्ध अधिकतम सहायता होगी ।

5.3 यदि कोई जेएनएनयूआरएम परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के रुप में भी अनुमोदित की गई हो तो विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना राशि राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में दी जा सकती है क्योंकि राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई धनराशि भारत सरकार अंशदान के रुप में इस्तेमाल की जा सकती है ।

5.4 यदि आवश्यक हो तो संस्थागत वित्त के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधन, संसद सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से धनराशि दी जा सकती है ।

5.5 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, समुदाय सहभागिता, सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) के लिए केन्द्रीय अनुदान का 5% प्रावधान अथवा वास्तविक मांग, जो भी कम हो, मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों/कस्बों के लिए मंजूरी हेतु रखा जाए ।

5.6 पूंजी लागत तथा प्रारंभिक लागत, जिसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल का सृजन, डाटा डिजिटीकरण, परियोजना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ-साथ लागू होने के पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक लागत व्यय शामिल है, केन्द्र सरकार से उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत अनुमेय लागत होगी । वार्षिक लागत में प्रचालन एवं रखरखाव लागत/मौजूदा संचार लागत/लायसेंस फीस इत्यादि । शामिल होगी । भूमि तथा भवन की लागत,

स्थल तैयारी, सिविल अवस्थापना, कर्मचारियों की लागत, विद्युत और संचार लागत इत्यादि राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जाएगी ।

5.7 राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय को नागरिकों को ई-सेवा मुहैया कराने के लिए लगाए गए शुल्क तथा/अथवा राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों में उपर्युक्त को छोड़कर सभी पूंजीगत और आवर्ती लागत वहन करनी होगी ।

5.8 जेएनएनयूआरएम के क्षमता निर्माण अनुदान घटक के अंतर्गत निर्धारित राशि से केन्द्रीय सरकार अंश की पूर्ति की जाएगी ।

5.9 राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्रता हेतु राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित मानदंडों का पूरा करना होगा:-

5.9.1 राज्य अंश देने को तैयार (पैरा 5.1 में यथानिर्धारित)

5.9.2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थायी संरचना

5.9.3 एक राज्य नोडल संगठन/एजेंसी नामित करना

5.9.4 सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकल्पों को अपनाने पर सहमति

5.9.5 स्कीम में वर्णित सेवा स्तर आउटपुट/आउटकम की प्राप्ति

5.9.6 आवश्यक अवस्थापना मुहैया कराना, जैसे स्थान, मानव श्रम इत्यादि, तथा

5.10 सार्वजनिक- निजी भागीदारी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना स्कीम का एक महत्वपूर्ण भाग है । राज्य/शहरी स्थानीय निकाय सम्भव सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकल्पों की जांच करें और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए लागत प्रभावी तथा सक्षम तरीका अपनाए ।

6. करार ज्ञापन

उल्लेखनीय है कि सभी 35 शहरों में, जिनमें पहले चरण में ई-गवर्नेस संबंधी एनएमपी कार्यान्वित किया जाना है, ने राज्य और केन्द्र सरकार के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं । इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच एक त्रि-पक्षीय करार किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन का स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा । इस करार में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के उद्देश्य और समयबद्धता की पूर्ति विनिर्दिष्ट फ्रेमवर्क के भीतर हो और नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन समूचे राज्य में एक चरणबद्ध ढंग से हो ।

7. जारी केन्द्रीय सहायता

7.1 राज्य सरकार अथवा नामित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय अंश के संबंध में 100% केन्द्रीय अनुदान) के रुप में धनराशि जारी की जाएगी ।

7.2 ई-गवर्नेंस संबंधी एनएमएमपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल द्वारा त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित करने पर 25% की प्रथम किस्त जारी की जाएगी । सहायता की शेष राशि, अनुदान (केन्द्रीय और राज्य) की 70% तक राशि के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा पहले से हस्ताक्षरित करार ज्ञापन में यथा उल्लिखित राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन यथा संभव तीन किस्तों में जारी की जाएगी ।

8. राज्य स्तरीय परामर्शदाता और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

8.1 राज्य सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) एनएमएमपी के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी । राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी) द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की सहायता की जाएगी जिन्हें एनईजीपी के भाग के रुप में बनाना पहले ही अनिवार्य किया गया है ।

8.2 राज्य सरकार, राज्य कार्यान्वयन परामर्शदाता नियुक्त करेगी ताकि राज्य और शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस परियोजना को चलाने में मदद मिल सके । परामर्शदाता, नोडल एजेंसी और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अपने कार्यों के निषादन में, जब कभी आवश्यक हो, मदद देगी । राज्य स्तरीय परामर्शदाता पर खर्च को उप पैरा 5.1 के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से वहन किया जाएगा ।

8.3 राज्य कार्यान्वयन परामर्शदाता की सहायता से नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगीः-

(i) आंतरिक विशेषज्ञता अथवा आउटसोर्सिंग के जरिए बाहरी एजेंसियों द्वारा परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन ।

(ii) केन्द्र सरकार से प्राप्त राशियों का प्रबंधन

(iii) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को राशियों का वितरण

(iv) करार संविदा के निबंधनों और शर्तों का कार्यान्वयन, समाधान प्रदाताओं/वेंडरों सहित ।

(v) केन्द्रीय सहायता की विभिन्न किश्तों के संबंध में राशियां जारी होने के पश्चात आवधिक रुप से उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तु करना ।

(vi) शहरी विकास मंत्रालय को तिमाही वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना ।

(vii) शहरी स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी राशियों का लेखा परीक्षित लेखा रखना ।

9. विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना और मूल्यांकन

9.1 राज्य कार्यान्वयन परामर्शदाता के जरिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एसईएमटी और शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी ताकि ई-गवर्नेंस संबधी मिशन मोड परियोजना के तहत शामिल किए जाने वाली प्रत्येक नगरपालिका में ई-गवर्नेंस शुरु किया जा सके ।

9.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में पैरा 5.1 में निर्दिष्ट वित्तीय पैटर्न अनुसार लागत आकलन और वित्त व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए और इसमें परियोजना के कार्यान्वयन व निष्कर्ष के दौरान तथा उसके बाद में लक्षित /संविदागत सेवाओं के संदर्भ में सेवा स्तरों के नियमित आधार पर स्वतंत्र आकलन तथा मानीटरिंग तंत्र के लिए व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए ।

9.3 डीपीआर में विभिन्न कार्यकलापों का दायरा, वर्षवार प्रत्येक नगरपालिका के लिए मानीटरेबल आउटकम / निष्पादन स्तर, समय सारणी, सेवाओं का मानदंड और वित्तीय योजना शामिल होनी चाहिए ताकि स्कीम शुरु किए जाने के दो वर्ष पश्चात इसकी सुस्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

9.4 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मूल्यांकित परियोजना को राज्य स्तरीय संचालन समिति के विचारार्थ और आगे शहरी विकास मंत्रालय का भेजेगी ।

10. राज्य स्तरीय संचालन समिति

एसएलएससी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

(i) मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं की जांच करना, अनुमोदन ।

(ii) स्वीकृत परियोजनाओं हेतु धन जुटाने सहित उनकी प्रगति की आवधिक मानीटरिंग करना ।

11. कार्यान्वयन और मानीटरिंग प्रणाली

11.1 कार्यान्वयन ढांचा

(क) ई-गवर्नेंस संबंधी मिशन मोड परियोजना को अधिमानतः सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा बिजनेस मॉडल के जरिए नगरपालिका स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा और ऐसा न होने पर कार्य संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(ख) सेवा सुपुर्दगी प्रणाली इस प्रकार होगीः-

- इंटरनेट के जरिए

- नगरपालिका कार्यालयों में नागरिक सुविधा केन्द्रों अथवा सेवा प्रदाता तीसरे पक्ष के जरिए

- यूएलबी के विभिन्न विभागों में टच स्क्रीन काउंटर

- एकीकृत सेवा सुपुर्दगी केन्द्र

11.2 मानीटरिंग

(क) जेएनएनयूआरएम के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समूह परियोजना के कार्यान्वयन में कार्यनीतिक निर्देश मुहैया करेगी ।

(ख) जेएनएनयूआरएम का मिशन निदेशक नगरपालिकाओं के लिए ई-गवर्नेंस संबंधी मिशन मोड परियोजना के लिए मिशन लीडर होगा । मिशन निदेशक के अंतर्गत मिशन निदेशालय राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति के विचारार्थ रखेगा ।

(ग) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय में गठित केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगी और साथ ही राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सीधे अथवा स्वतंत्र तृतीय पक्ष से परियोजना की प्रगति तथा उपलब्धियों का स्वतंत्र आकलन और मानीटरिंग करेगी । केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति, व्यय वित्त समिति, आर्थिक कार्यों संबंधी कैबिनेट समिति को भेजे बिना प्रत्येक मामले में शहरी विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री के अनुमोदन से मिशन के अंतर्गत 500 करोड़ रु0 तक की लागत वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन व स्वीकृति के लिए अधिकृत होगी । 500 करोड़ रु0 से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाएं वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर संशोधित दिनांक 21.12.2002 के का.ज्ञा. सं0 1(26)-ई-II(ए)/2002 में यथा उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश के लिए इस मंत्रालय के नामित अधिकारियों के जरिए ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक मानीटरिंग करेगा ।

(ङ.) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी विकास मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी ।

(च) परियोजना पूरी होने पर नोडल एजेंसी राज्य सरकार के जरिए इस संबंध में पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(छ) केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति एनएमएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा/ निगरानी करने के लिए अपेक्षानुसार बैठकें करती रहेगी, एनएमएमपी के कार्यान्वयन के लिए नीति संबंधी निर्देश मुहैया कराएगी तथा समस्या प्रधान क्षेत्रों की पहचान करेगी और एनएमएमपी के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित सहायता मुहैया कराएगी ।

(ज) राज्य सरकार नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेन्स के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक परियोजना लीडर की भी पहचान करेगी जिसका कार्यकाल पर्याप्त रुप से अधिक हो । राज्य परियोजना लीडर राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(झ) राज्य कार्यान्वयन परामर्शदाता निगरानी की प्रगति में सहायता भी प्रदान करेगा तथा राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति को तकनीकी सहायता मुहैया करायेगा ।

(ळ) शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई स्थापित की जायेगी जो शहरी स्थानीय निकाय में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी ।

12. क्षमता निर्माण और हेन्ड होल्डिंग

(क) मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों/कस्बों के लिए स्वीकृति हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, समुदाय सहभागिता, सूचना, शिक्षा व संचार के लिए केन्द्रीय अनुदान का 5% प्रावधान अथवा वास्तविक आवश्यकता, जो भी कम हो रखा जाए ।

(ख) कार्यकर्ताओं, जिसमें प्रत्येक म्युनिसिपल निकाय से कार्यपालक और चुने गए प्रतिनिधि शामिल हैं, को ई-गवर्नेन्स के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

(ग) नोडल एजेन्सी के माध्यम से राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की नेटवर्क संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

समाधान प्रदाता/वेन्डर तथा राज्य कार्यान्वयन परामर्शदाता परियोजना के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों को हेन्ड होल्डिंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

13. अनुबन्ध (कांट्रेक्ट ऑफ एग्रीमेन्ट)

13.1 राज्य सरकार उपरोक्त पैरा-4 में यथा उल्लिखित क्षेत्रों में ई-गवर्नेन्स के रोलिंग आउट हेतु संबंधित नगरपालिकाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए समाधान प्रदाता/वेन्डर के साथ अनुबन्ध करेगी ।

13.2 अनुबन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने, हेन्ड होल्डिंग सिस्टम के प्रचालन और अनुरक्षण आदि के लिए शर्तों और निबन्धनों का उल्लेख होगा ।

14. विविध

14.1 एनएमएमपी के अन्तर्गत सृजित इन्वेन्टरी का रखरखाव करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वियन एजेन्सियां उत्तरदायी होंगी ।

14.2 शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यान्वियन एजेन्सियों को प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशि की प्राप्ति और व्यय के लिए एक वाणिज्यिक बैंक में परियोजना हेतु अलग से बैंक खाता खोलना और रखना होगा । शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वियन एजेन्सियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि के उपयोग के लिए रजिस्टर रखने चाहिए ।

14.3 राज्य में नोडल एजेन्सी को एनएमएमपी के अन्तर्गत स्थानीय निकाय-वार खाते रखने होंगे ।

15. परिणाम

15.1 नागरिकों को म्युनिसिपल सेवाएं प्रदान करने की कार्य क्षमता और प्रभावकारिता में सतत सुधार के लिए आईसीटी का उपयोग ।

15.2 यह स्कीम सेवा प्रदान करने के तन्त्र में सुधार लाने, बेहतर सूचना प्रबन्धन और पारदर्शिता लाने तथा भागीदारी शासन में नागरिकों को पूर्णतया शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए भारत भर में म्युनिसिपल निकायों को सहायता प्रदान करेगी ।

15.3 सभी 423 नगरपालिकाओं में सभी एप्लीकेशन कोर मोड्यूलों(जैसाकि पैरा 4.1 में उल्लेख किया गया है) को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

15.4 मुख्य परिणाम, जिनसे विभिन्न स्टॉक होल्डरों को लाभ पहुँचेगा, नीचे दिए गए हैः-

i. नागरिकः शहरी स्थानीय निकाय के कार्य-निष्पादन के बारे में समय पर सेवा और सही सूचना प्राप्त करना, प्राप्त सेवाओं की क्वालिटी के बारे में संतुष्ट करने की सक्षमता तथा उनसे संबंधित मामलों में भागीदारी की रीति;

ii. शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालक/कर्मचारीः उपयुक्त प्रचालन दिशानिर्देश, उपयुक्त प्रौद्योगिकी/अवस्थापना, कुशल प्रोसेस, क्वालिटी प्रशिक्षण तन्त्र, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण तथा निर्णय लेने के लिए सही और पूर्ण सूचना प्राप्त करना;

iii. सेवा प्रदाता/आपूर्तिकर्त्ताः स्पष्ट और क्वालिटी सेवा प्रदान करने का तन्त्र तथा भुगतान व्यवस्थायें करना;

iv. वित्तपोषण एजेन्सियां/गैर सरकारी संगठन/भागीदार/मीडियाः शहरी स्थानीय निकायों के कार्य-निष्पादन के संबंध में सही, अद्यतन और विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना; और

v. नीति निर्धारकः विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त सहित उपयुक्त नीतियों, दिशानिर्देशों, संस्थागत तन्त्रों, प्रौद्योगिकी, आवस्थापना और संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने हेतु निर्णय लेने में सहायक प्रणालियों पर आधारित मुख्य कार्य निष्पादन सूचक।

vi. शहरी स्थानीय निकायों के शहरी शासन और वित्तीय स्थिति में सुधार।

15.5 राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिकाओं के सिद्धान्तों में ई-गवर्नेन्स के लिए राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के एक भाग के रुप में निम्नलिखित परिणामों से अपने आपको प्रतिबद्ध करेगी। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों की तुलना में प्रस्तावित परिमेय आउट पुट/परिणाम नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य उपाय

स्टॉक होल्डर और उद्देश्य	मुख्य उपाय	निदर्शी लक्ष्य
नागरिक (सेवा की क्वालिटी)	• ग्राहकों के आने की संख्या को कम करना • सेवा के अनुरोध के लिए अपेक्षित समय को कम करना • सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित समय को कम करना • सेवा से जुड़े शुल्क और प्रभारों को कम करना • अनुरोध की गई सेवा की प्रगति पर ध्यान देने/उसका पता लगाने हेतु ग्राहकों द्वारा लगाये जाने वाले समय को कम करना	• विशिष्ट सेवा स्तरों को प्राप्त करने के संबंध में 95% संतुष्टि स्तर के साथ जाने-रहने के समय से 5 वर्ष की अवधि के लिए 6 माह का स्वतंत्र नागरिक सर्वेक्षण/फीड बैक। • परिभाषित सेवा स्तर के भीतर शिकायत निपटान माडल के जरिये प्राप्त शिकायतों का 95% समाधान।
नगरपालिकायें (प्रक्रिया,	• मौजूदा राजस्व में बढ़ोत्तरी करना	• पहले तीन वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर

कार्यकुशलता और प्रभावकारिता)	• प्रक्रियात्मक लेन-देन की लागत कम करना • अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना (सेवा उन्नमुख संगठन के रुप में नगरपालिकाओं की छवि में सुधार लाना)	नगरपालिका के स्वामित्व वाले राजस्व में कम से कम 25% तक वृद्धि • मैनुअल रिकार्डों पर प्रतिबन्ध लगाना • एकरुअल आधारित लेखा प्रणाली
सेवा प्रदाता/ आपूर्तिकर्ता (सेवा की क्वालिटी की निगरानी और मूल्यांकन)	• सेवा स्तरीय करार (आन्तकि और बाह्य)	• सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रणाली का नियोजन
वित्तपोषण एजेन्सियां/सार्वजनिक निजी भागीदारीकर्त्ता (अर्थव्यवस्था)	• सुस्थिरता और सार्वजनिक निजी भागीदारी माडलों के जरिये अनुकूलतम सरकारी निवेश • निवेश पर आय (आरओआई) • लागत लाभ	• अधिशेष राजस्व
नीति निर्धारक (निर्णय लेने में सहायक सिस्टम)	• केन्द्र और राज्य सरकार स्तर पर नागरपालिकाओं के कार्य-निष्पादन का समेकित दृष्टिकोण	• समेकित राज्य व्यापक म्युनिसिपल सूचना प्रबन्धन प्रणाली
कार्यक्रम कार्यालय (प्रगति पर दृष्टि रखना)	• ई-गवर्नेन्स सेवाओं का उपयोग कर रहे प्रत्येक प्रकार के ग्राहकों का प्रतिशत • ई-गवर्नेन्स में परिवर्तित म्युनिसिपल सेवाओं का प्रतिशत • ई-गवर्नेन्स पर प्रकाशित म्युनिसिपल सेवा सूचना का प्रतिशत • इलैक्ट्रोनिक विधि से निषादित प्रत्येक सेवा के कार्य सम्पादन का प्रतिशत	• 75% से अधिक नागरिक शहरी स्थानीय निकायों की सेवायें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर रहे हैं । • 75% से अधिक नागरिक आईसीटी का उपयोग करके दी गई सेवायें प्राप्त कर रहे हैं ।

सेवा स्तर

मुख्य उद्देश्य	मुख्य लक्ष्य	प्रमाणनीय सूचक	प्रमाणन के तरीके
• वित्तीय सुस्थिरता	• राजस्व बढ़ाना • सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग	• पहले तीन वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर नगरपालिका के स्वामित्व वाले राजस्व में कम से कम	• नगरपालिका का वित्तीय विवरण

		25% तक वृद्धि	
• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना	• प्रभावी नागरिक रिडरेशल सिस्टम • सूचना के प्रचालनात्मक अधिकार	• नियत सेवा स्तर के भीतर शिकायत दूर करने के माडल के जरिये प्राप्त शिकायतों का 80% समाधान • सूचना के अधिकार अधिनियम में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली का फैलाव।	• सरकारी आदेश • लेखा परीक्षा प्रणाली
• प्रक्रिया में सुधार	• आन लाइन वित्तीय और प्रबन्ध सूचना प्रणाली • डिजाइन कागजात में सुझाव दिए गए मानकों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन	• एकरुअल आधारित लेखा प्रणाली • वैधानिक प्रभार	• लेखा परीक्षा प्रणाली • सरकारी आदेश
• स्पष्ट रुप से परिभाषित नागरिक सेवाएं और सेवा स्तर	• नगरपालिकाओं के लिए वेबसाइट/कामन स्टेट वाइड पोर्टल • फार्मों, नागरिक, चार्टर आदि की उपलब्धता • फार्मों का आन लाइन प्रस्तुतीकरण • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन - रजिस्टर्ड अस्पताल - अन्य • सम्पदा कर की गणना और भुगतान • उपयोगिता बिलों का भुगतान जल आपूर्ति और सीवरेज • भवन अनुमोदन • -रिहायशी • -व्यवसायिक एवं अन्य • स्वास्थ्य कार्यक्रम - लाइसेन्स(नए) - नवीकरण	• कम से कम 15 दिन में अद्यतन, टाइम स्टेम्प • फार्मों, नियमो आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, का 24 घंटे के भीतर आन लाइन, अद्यतन • ऑन लाइन तत्काल प्राप्ति • ऑन लाइन और सेवा बिन्दुओं के जरिये (<15मिनट) • <5 दिन • ऑन लाइन टैक्स केल्कुलेटर • पहचान किए गए सेवा बिन्दुओं के जरिये< 15 मिनट • ई-बिज पोर्टल के जरिये ऑन लाइन • ई-बिल ऑन लाइन पर उपलब्ध होगा; • ऑन लाइन भुगान • पहचान किए गए सेवा बिन्दुओं के जरिये <15	• टाइम स्टेम्प मानीटरिंग और होस्टिंग एजेन्सी के साथ एसएलए • होस्टिंग एजेन्सी के साथ एसएलए • लेखा परीक्षा प्रणाली • लेखा परीक्षा प्रणाली - मानीटरिंग और मूल्यांकन ढांचा • लेखा परीक्षा प्रणाली - मानीटरिंग और मूल्यांकन ढांचा • लेखा परीक्षा प्रणाली - मानीटरिंग और मूल्यांकन ढांचा • लेखा परीक्षा

		मिनट • < 7 दिन • <15 दिन • < 5 दिन • <30 मिनट • दोहरा लेखा 3 महीने के भीतर लेखों को अंतिम रुप देना	प्रणाली - मानीटरिंग और मूल्यांकन ढांचा • लेखा परीक्षा प्रणाली-
	• वित्तीय लेखा प्रणाली • विकास परियोजनाएं - अनुमोदित परियोजनाएं वार्डों द्वारा धनराशि का नियतन - वास्तविक और वित्तीय प्रगति - समाप्ति से पूर्व सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अनुरोध • ई-प्राप्ति • शिकायतों का समाधान • -पावतियां • -संकल्प मानिटरिंग	• परियोजना अनुमोदन के 1 दिन के अंदर ऑन लाइन तथा सर्विस सेंटर में • ऑनलाइन तथा सर्विस सेंटर में, 15 दिन के अंदर अद्यतन • ऑनलाइन तथा सर्विस सेंटर में, पूरा होने के बाद 7 दिन • राज्य ई-प्राप्ति मॉड्यूल के साथ एकीकृत • तत्काल (सर्विस प्वांइट अथवा ऑनलाइन के माध्यम से) • ऑनलाइन (निर्धारित, जिसके लिए< 1 महीना है, के अलावा अन्य सभी के लिए < 7 दिन)	मानीटरिंग तथा मूल्यांकन ढांचा • लेखों को अंतिम रुप देने की तारीख • प्रणाली लेखा परीक्षा मानीटरिंग तथा मूल्यांकन ढांचा • ऑनलाइन प्रणाली लेखा परीक्षा मानीटरिंग तथा मूल्यांकन ढांचा

परिशिष्ट

2001 की जनगणना अनुसार चुने गए शहरों/ शहरी समूहों की सूची

राज्य में शहर/शहरी समूह का नाम, आबादी(लाख में)

क.	मेगा शहर/शहरी समूह		
1	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
ख)	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह		
1	पटना	बिहार	16.98
2	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4	लुधियाना	पंजाब	13.98
5	जयपुर	राजस्थान	23.27
6	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10	कोचीन	केरल	13.55
11	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13	अमृतसर	पंजाब	10.03
14	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15	वडोदरा	गुजरात	14.91
16	सूरत	गुजरात	28.11
17	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19	कोयमबटूर	तमिलनाडु	14.61
20	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26	राजकोट	गुजरात	10.03
27	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40

2. कार्यान्वयन स्थिति

जेएनएनयूआरएम की प्रगति

7 वर्षीय आबंटन	वचनबद्ध एवं जारी (करोड़ रु0 में)		
	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	योग
आबंटन	13674.22	4467.12	**18141.34**
एसीए बचनबद्धता	9032.49	3283.66	**12316.15**
जारी एसीए	2591.08	1635.49	**4226.57**
अनुमोदित परियोजनाओं की सं0	284	506	**790**
कुल अनुमोदित परियोजना लागत	17996.28	4659.80	**22656.08**
शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सं0	30	29	
शामिल शहरों/कस्बों की सं0	61	473	
अनुमोदित आवास इकाइयों की सं0	803089	286740	**1089829**

राज्यवार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है ।

3. चुनौतियां

- क्षमता निर्माण

परियोजना तैयार करने, गुणवत्ता आश्वासन और परियोजना निगरानी सहित परियोजना कार्यान्वयन हेतु राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण में आने वाली बाधाओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैः-

- मार्च, 2007 में शहरी गरीबी उपशमन हेतु क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया ।

- इसके लिए मुख्य प्रशिक्षण मापदंड बनाए गए हैं (1) शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं,(2)शहरी गरीबों के लिए कानून और नीति स्वरुप (3) जेएनएनयूआरएमः बीएसयूपी और आईएचएसडीपी का कार्यान्वयन,(4) गरीबों को प्रभावी नगरपालिका सेवा सुपुर्दगी, (5) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार(6)सामुदायिक भागीदारी और (7) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी । चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं/ संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

- 75 क्षमता निर्माण /मौजूदा कार्यक्रम पूरे देश में सभी राज्यों और परियोजना विकास, डिजाइन और प्रबंधन के क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में शहरी स्थानीय निकायों में और 8500 से अधिक राज्यों/पैरा स्टेटलों/स्थानीय निकायों के प्रशिक्षित कर्मचारियों को शामिल करते हुए चलाए गए हैं । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और क्षमता निर्माण मापदण्ड बनाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरल बनाए गए दिशानिर्देश जारी किए गए । नवीनतम पर्यावास/ आवास डिजाईन पर टूल किट जारी की गई ।

- परियोजना कार्यान्वयन- परियोजना की गुणवत्ता बनाए रखने और उचित समय पर पूर्ण करना

केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति(सीएमएमसी) इस परियोजना को स्वीकृत करते समय आवासीय इकाई हेतु अच्छे डिजाईन पर जोर देती है । सामाजिक अवसंरचना जैसे कि सामुदायिक केन्द्र, जीविका केन्द्र और अनौपचारिक सेक्टर बाजार को शामिल करते हुए आवश्यकता आधारित आधारभूत अवसंरचना विकास करने पर भी जोर दिया गया है । परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

- 16 राज्यों /संघ राज्यों(आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड,कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों(पीएमयू) के गठन हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने का अनुमोदन किया गया है । बीएसयूपी, आईएचएसडीपी और अन्य शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों की निगरानी के लिए राज्यों के पास 5 विशेषज्ञ अर्थात परियोजना विशेषज्ञ (आवास एवं स्लम विकास), विशेषज्ञ (सामाजिक), विशेषज्ञ(समुदाय गतिशीलता और एमआईएस), शहरी गरीबी/प्रबंधन विशेषज्ञ और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण समन्वयक होने चाहिए । अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव किए जा रहे हैं ।

- *13 राज्यों(आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान,सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में 62 परियोजना कार्यक्रम इकाईयों(पीआईयू) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी अनुमोदित कर दी गई है । बीएसयूपी, आईएचएसडीपी तथा अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं की मानीटरिंग के लिए नगर/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 5 विशेषज्ञ यथा परियोजना संयोजक , सामाजिक विकास अधिकारी, आजीविका विकास विशेषज्ञ, अनुसंधान अधिकारी तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संयोजक की नियुक्ति की जाएगी । अन्य राज्यों द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।*

- *मिशन निदेशालय द्वारा निष्पक्ष निरीक्षण तथा मानीटरिंग के लिए ढांचा किया गया है और निष्पक्ष निरीक्षण व मानीटरिंग के लिए एजेंसियों की सूची बनाई गई है । जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति व क्वालिटी की मानीटरिंग के लिए टीपीआईएम एजेंसियां नियुक्त करने में राज्य सरकारों की मदद हेतु टूलकिट तैयार किया जाता है ।*

- *सामुदायिक सहभागिता का विकास*

सामुदायिक विकास नैटवर्क (सीडीएन)

जेएनएनयूआरएम की प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने के लिए एक समुदाय सहभागिता कोष (सीपीएफ) गठित किया गया । शहरी निर्धनों के लिए कार्यरत समुदाय स्तर के संगठनों तथा संसाधन संस्थानों सहित सीडीएन के सदस्य टूलकिट दिशानिर्देशों का अनुपालन करके 10 लाख रु0 तक की छोटी परियोजनाओं के लिए सीपीएफ से वित्त प्राप्त कर सकते हैं ।

- ***अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान:*** *विशेष रुप से आईएचएसडीपी के अंतर्गत शामिल छोटे कस्बों के लिए ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और शहरी निर्धनों की आवास संबंधी गंभीर कमी को पूरा किया जा सके, इन नगरों में बड़े नगरों की तुलना में अधिक गरीबी व बेरोजगारी है ।*

- ***भूमि अवरोधों को दूर करना :*** *अनेक नगरों व कस्बों में आवास की मुख्य समस्या भूमि है । पिछले मास्टर प्लानों में शहरी निर्धनों के आवास के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित नहीं की गई है । राज्य सरकारों को सस्ते मकानों के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित रखने हेतु अपने मास्टर प्लान कानूनों में संशोधन करना होगा ।*

-

उभरता शहरी परिदृश्य
मेरा शहर,मेरा गौरव, जेएनएनयूआरएम

शहरी विकास मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
(जेएनएनयूआरएम) तीसरी

वर्षगॉठ

तथा

अर्बन मोबिलिटी इंडिया, 2008

पर

राष्ट्रीय सम्मेलन

स्थान: हॉल सं0 6 और 7 , प्रगति मैदान, नई दिल्ली
दिनांक: 3-5 दिसम्बर, 2008

पुरस्कार वितरण

** जल आपूर्ति, गंदे पानी की व्यवस्था और जल निकासी, कचरा प्रबंधन में बुनियादी सेवाओं के सुधार के संबंध में उपलब्धियां * वित्तीय मजबूती तथा सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में उपलब्धियां * पर्यावरणीय पहल-प्रयासों के संबंध में उपलब्धि * शहरी परिवहन में सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी * साइकिल रिक्शा/साइकल परिवहन परियोजना * जन परिवहन परियोजना, पर्यावरण अनुकूल परियोजना * सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली परियोजना * बहु- आयामी एकीकृत परियोजना * एकीकृत भू-उपयोग तथा परिवहन नियोजन सहित व्यापक एकीकृत योजना(परामर्शदाताओं के लिए) * परियोजना प्रबंधन(परामर्शदाता) * भारत में शहरी परिवहन के संबंध में शोध कार्य*

भागीदारी

- *राज्यों के शहरी विकास और परिवहन विभागों के सचिव*
- *63 मिशन शहरों के मेयर और नगरपालिका आयुक्त*
- *मंत्रालय- पर्यावरण और वन, वित्त, विदेश, सड़क परिवहन व राजमार्ग, रेलवे, भारी उद्योग, योजना आयोग*
- *तकनीकी परामर्शी दल*
- *यूआईटीपी, ईएमबीएआरक्यू, जीटीजेड, विश्व बैंक, यूएनडीपी, एडीबी,एआईटीएस तथा एसआईएएम*
- *मेट्रो सेवा और टेक्नॉलोजी प्रदाता*
- *संस्थान- आईआईटी, सीईपीटी, एसपीए, एएससीआई, सीआरआरआई, सीआईआरटी, टीईआरआई, एनआईयूए, एनआईपीएफपी*
- *सीपीडब्ल्यूडी, सीपीएचईईओ*

जेएनएनयूआरएम तथा शहरी परिवहन के संबंध में सत्र, जिनमें परियोजना कार्यान्वयन, सुधार पहल- प्रयास, सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी, बेहतर प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन और शहरी परिवहन में स्वच्छ विकास तंत्र(सीडीएम) के लिए अवसर

मेरा शहर,मेरा गौरव,
जेएनएनयूआरएम

शहरी विकास मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी
उपशमन मंत्रालय